



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2009/आश्विन 17, 1931

No. 582]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2009/ASVINA 17, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2009

सा. का. नि. 738(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि व्यवस्थित उपयोग के लिए किसी अन्य औषधि के साथ कोरटीकोस्टीरोइडस नियत मात्रा में संयोजन से मनुष्यों के जोखिम में पड़ने की संभावना है;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में उक्त नियत मात्रा में संयोजन के विनिर्माण विक्रय और वितरण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 578(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में मद 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“14. मोटर डोस इन्हेलर और ड्राइ पाउडर इन्हेलर के लिए विनिर्मितियों के सिवाए आंतरिक उपयोग के लिए किसी अन्य औषधि के साथ कोरटीकोस्टीरोइडस का नियत मात्रा में संयोजन।”

[फा. सं. एक्स-11014/5/2007-डीएफक्यूसी]

देवाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 578(अ), तारीख

23 जुलाई, 1983 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया :—

1. सा.का.नि. 49 (अ), तारीख 31-1-1984
2. सा.का.नि. 322 (अ), तारीख 3-5-1984
3. सा.का.नि. 863 (अ), तारीख 22-11-1985
4. सा.का.नि. 700 (अ), तारीख 15-6-1988
5. सा.का.नि. 1057 (अ), तारीख 3-11-1988
6. सा.का.नि. 743 (अ), तारीख 10-8-1988
7. सा.का.नि. 999 (अ), तारीख 26-12-1990
8. सा.का.नि. 69 (अ), तारीख 11-2-1991
9. सा.का.नि. 304 (अ), तारीख 7-6-1991
10. सा.का.नि. 444 (अ), तारीख 7-6-1992
11. सा.का.नि. 111 (अ), तारीख 22-2-1994
12. सा.का.नि. 612 (अ), तारीख 9-9-1994 (शुद्धि-पत्र)
13. सा.का.नि. 731 (अ), तारीख 30-9-1994
14. सा.का.नि. 848 (अ), तारीख 7-12-1994
15. सा.का.नि. 57 (अ), तारीख 7-2-1995
16. सा.का.नि. 633 (अ), तारीख 13-9-1995
17. सा.का.नि. 776 (अ), तारीख 5-12-1995 (शुद्धि-पत्र)
18. सा.का.नि. 793 (अ), तारीख 13-12-1995
19. सा.का.नि. 123 (अ), तारीख 11-3-1996 (शुद्धि-पत्र)
20. सा.का.नि. 230 (अ), तारीख 4-6-1996 (शुद्धि-पत्र)
21. सा.का.नि. 499 (अ), तारीख 14-8-1998
22. सा.का.नि. 395 (अ), तारीख 19-5-1999
23. सा.का.नि. 405 (अ), तारीख 3-6-1999
24. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 17-8-1999
25. सा.का.नि. 704 (अ), तारीख 20-10-1999
26. सा.का.नि. 814 (अ), तारीख 16-12-1999
27. सा.का.नि. 169 (अ), तारीख 12-3-2001
28. सा.का.नि. 100 (अ), तारीख 11-2-2003
29. सा.का.नि. 290 (अ), तारीख 16-4-2008

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2009

G.S.R. 738 (E).—Whereas the Central Government is satisfied that 'Fixed Dose Combinations of Corticosteroids with any other drug for systemic use' is likely to involve risk to human beings;

And whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of the said fixed dose combination in the public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetic Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number G.S.R. 578(E), dated the 23rd July, 1983, namely:—

In the Table appended to the said notification, for item 14 and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

"14. Fixed Dose combination of corticosteroid with any other drug for internal use except for preparations meant for meter dose inhalers and dry powder inhalers."

[F. No. X-11014/5/2007-DFQC]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published *vide* number G.S.R. 578(E), dated the 23rd July, 1983 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*—

1. G.S.R. 49(E), dated 31-1-1984
2. G.S.R. 322(E), dated 3-5-1984

3. G.S.R. 863(E), dated 22-11-1985
4. G.S.R. 700(E), dated 15-6-1988
5. G.S.R. 1057(E), dated 3-11-1988
6. G.S.R. 743(E), dated 10-8-1988
7. G.S.R. 999(E), dated 26-12-1990
8. G.S.R. 69(E), dated 11-2-1991
9. G.S.R. 304(E), dated 7-6-1991
10. G.S.R. 444(E), dated 7-6-1992
11. G.S.R. 111(E), dated 22-2-1994
12. G.S.R. 612(E), dated 9-9-1994 (Corrigendum)
13. G.S.R. 731(E), dated 30-9-1994
14. G.S.R. 848(E), dated 7-12-1994
15. G.S.R. 57(E), dated 7-2-1995
16. G.S.R. 633(E), dated 13-9-1995
17. G.S.R. 776(E), dated 5-12-1995 (Corrigendum)
18. G.S.R. 793 (E), dated dated 13-12-1995
19. G.S.R. 123 (E), dated 11-3-1996 (Corrigendum)
20. G.S.R. 230 (E), dated 4-6-1996 (Corrigendum)
21. G.S.R. 499 (E), dated 14-8-1998
22. G.S.R. 395 (E), dated 19-5-1999
23. G.S.R. 405 (E), dated 3-6-1999
24. G.S.R. 590 (E), dated 17-8-1999
25. G.S.R. 704 (E), dated 20-10-1999
26. G.S.R. 814 (E), dated 16-12-1999
27. G.S.R. 169 (E), dated 12-3-2001
28. G.S.R. 100 (E), dated 11-2-2003
29. G.S.R. 290(E), dated 16-4-2008